दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 20 मार्च, 2023

रि.या.(सि.) 3464/2023 व सि.वि.आ. 13412/2023

अनुराग सक्सेना ....याचिकाकर्ता

द्वारा : सुश्री साहिला लांबा, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री विनीत ढांडा, केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता सह श्री हुसैन तकवी, श्री शुभम प्रसाद, सुश्री श्रुति गुप्ता, श्री एम. आदिल तकवी और सुश्री गुरलीन कौर, भारत संघ के अधिवक्ताण।

श्री एम.आर. पांडा, 2आईसी (गोपनीय), एफएचक्यू, बीएसएफ और श्री हेमेन्द्र सिंह, डीसी (कानून), बीएसएफ।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1.वर्तमान याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष की मांग कर रहा हैः

"क.) सीमा सुरक्षा बल नियमावली, 1969 के नियम 21 और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 21(2) के तहत प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.02.2023 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करें।"

2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 06.02.2023 के कारण बताओ नोटिस के अनुच्छेद 7 में उल्लेख है कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की प्रति संलग्न है, हालांकि, यह याची को प्राप्त नहीं हुई है।

3. सीमा सुरक्षा बल के सेकैंड-इन-कमांड (गोपनीय) श्री एम.आर. पांडा के निर्देशों पर प्रत्यर्थीगण के लिए अग्रिम नोटिस पर

उपस्थित विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आज से एक सप्ताह के भीतर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की प्रति याचिकाकर्ता को दे दी जाएगी।

4. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की प्रति प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 06.02.2023 के कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का उत्तर मिलने पर, प्रत्यर्थी वैधानिक अवधि के भीतर इसका निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

6. इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को लिखित में उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दी जाएगी।

7. तदनुसार, लंबित आवेदन के साथ वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी प्रत्यर्थी के निर्णय से व्यथित है, तो वह उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है।

(सुरेश कुमार कैत) न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा) न्यायाधीश

20 मार्च, 2023
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*